रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1808] नई दिल्ली, बुधवार, जून 28, 2017/आषाढ़ 7, 1939
No. 1808] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 28, 2017/ASADHA 7, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

(उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य, बिहार)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2017

का.आ. 2030(अ).—भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 3547 (अ), तारीख 30 दिसम्बर, 2015 द्वारा उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को, उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए एक प्रारुप अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित की गई थी;

और, उक्त प्रारुप अधिसूचना के उत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से टीका-टिप्पणी आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे;

और, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य, बिहार के पश्चिम चम्पारण ज़िला में बेत्तइहा के अक्षांश 26° 47'52.5" और 26° 48'47.1" उ. और देशांतर 84° 24'24" और 84° 25'88" पू. के बीच स्थित है और इस क्षेत्र का विस्तार 887 हेक्टेयर है ;

और, इस अभयारण्य के भाग में ऑक्सबॉ सारायमन झील के वन और आर्द्र भूमि 319 हेक्टेयर और 3.19 वर्ग किलोमीटर में फैली है, इसकी वनस्पतीय एवं जीवजंतु की पारिस्थितिक प्रजातियां महत्वपूर्ण है, चंद्रावत, हरहा और गंडक नदी के तटों के साथ मिश्रित पर्णपाती वन संकीर्ण फैले है और बिहार राज्य में आर्द्र भूमि के साथ वन पारिस्थितिक प्रणाली इस अभयारण्य की झील और भू-दृश्य एकमात्र है और इस जगह में महत्वपूर्ण जल-वैज्ञानिक आर्द्र भूमि पारिस्थितिक तंत्र के कार्य भी प्रदान है ;

और, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य में चित्तीदार हिरण(रूसा स्प), मुंजक(मुटींकस स्प), पाढ़ा(*एक्सि पॉकिनस*), ब्लू बुल(*बोसेलाफ़ूस* स्प), भारतीय खरगोश(*लेपुस नीगरूल्लिस*), सियार(*केनिस ऑरियय*), लोमड़ी(*वोलपेस वोलपेस*), बनैला सूअर(*सूस स्क्रोफा*), साही(*हायस्टक्सि*),मॉनीटर छिपकली (*वारनस*), अजगर(पायथन स्प.), और धोंघिल(*अनासट्रमुस*), लालसर(*निट्टा रूफिना*), गडवल (मारेका स्ट्रेपेरा),मलिन हंस(अरदेअ पुरपुरेअ), पक्षी की प्रजातियां में से महत्वपूर्ण जंगली जीवजंतु है, पाढ़ा, मुंजक और अजगर संकटापन्न और असुरक्षित जीव है ;

और, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गो के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) के साथ पठित और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन के रुप में (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) बिहार राज्य के उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के 1 किलोमीटर से 3.5 किलोमीटर सीमा क्षेत्र को अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**--(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा 1 किलोमीटर से 3.5 किलोमीटर तक है और पारिस्थितिक संवेदी जोन का क्षेत्र 3759.0 हेक्टेयर है |

(2) उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य के सीमांकन के भू-निर्देशांक के साथ पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र **उपाबंध I** के रूप में उपाबद्ध है ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर आने वाले ग्रामों की सूची प्रमुख बिन्दुओं के निर्देशांक **उपाबंध II** के रुप में उपाबद्ध है ।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना –(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से, इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) आंचलिक महायोजना के द्वारा तैयार किए गए अधिसूचना में उल्लेखित शर्त के अनुरूप होंगे और पर्यावरणीय प्रभाव भी शामिल होंगे।

(3) आचंलिक महायोजना राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी ।

(4) पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप में ऐसी रीति से राज्य सरकार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य में भी तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देश का सिद्धांत, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(5) आंचलिक महायोजना, पर्यावरणीय और पारिस्थितिक विचारों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के सभी संबद्ध विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:--

i. पर्यावरण ;
ii. वन ;
iii. नगर विकास ;
iv. पर्यटन ;
v. नगरपालिका ;
vi. राजस्व ;
vii. कृषि ;
viii. पशुधन और मत्स्य संसाधन; और
ix. बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

(6) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में और अधिक दक्षता और पारिस्थितिक अनुकूलता का संवर्धन करेगी ।

(7) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(8) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी और इस योजना के मानचित्र द्वारा विद्यमान और प्रस्तावित भूमि के उपयोग का विवरण किया जाएगा ।

(9) आंचलिक महायोजना स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करने के लिए, पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को पारिस्थितिक अनुकूल विकास के लिए विनियमित करेगी ।

(10) आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में दिए गए उपबंधों के संबंध में अपने कार्यों के बाहर ले जाने के लिए निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:--

(1) भू-उपयोग - पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन मद सं0 20, 24, 32 और 37 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :-

(i) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(ii) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिक अनुकूल आरामगाह जैसे टेंट, लकड़ी के मकान आदि ;

(iii) वर्षा जल संचय; और

(iv) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण शिल्पकार भी हैं :

परंतु यह और भी कि क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और अन्य नियमों और विनियमों के अंतर्गत राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन तथा संविधान के अनुच्छेद 244 और तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को देनी होगी ।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) प्राकृतिक जल स्रोत -- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे ।

(3) पारिस्थितिक/पर्यटन – (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप पारिस्थितिक पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे जो कि आंचलिक महायोजना के भाग रूप में होगी ।

(ख) पारिस्थितिक पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, बिहार सरकार द्वारा पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में जाना जायेगा ।

(घ) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलाप से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल

IndiaCode

और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे। परंतु, जहाँ पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार एक किलोमीटर से ज्यादा है वहाँ, एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटक क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार होगा;

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया होगा ।

(4) नैसर्गिक विरासत -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातो आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा ।

(5) मानव निर्मित विरासत स्थलों - पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** – पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियमों के अनुसार पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986, 2000 अंतर्गत तैयार करेगा ।

(7) **वायु प्रदूषण** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण सामान्य मानकों के लिए पर्यावरणीय प्रदूषित आच्छादित के निस्सारण के अंतर्गत पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(9) ठोस अपशिष्ट -- ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा--

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, समय-समय पर संशोधित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, जो भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ) तारीख 8 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा।

(iii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(10) जैव चिकित्सीय अपशिष्ट- पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में कोई सामान्य उपचार सुविधा या जलाया जाना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत पहले से ही विद्यमान व्यक्तिगत अस्पतालों या निजी स्वास्थ्य केंद्रों को संरक्षित क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव से बचने के लिए पर्याप्त उपचार प्रणाली प्रदान करनी चाहिए।

(11) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन: - पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन: - पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(13) यानीय यातायात- परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(14). अगर यह आवश्यक समझता है, इस अधिसूचना के प्रावधानों को प्रभावी करने में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार, अन्य उपायों निर्दिष्ट करेगा।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
	प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन, ईंट-भट्ठा, मिट्टी खुदाई, रेत खनन और उनको तोड़ने की इकाइयां ।	(क) सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं के सिवाय नहीं होंगी ; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा ।
2.	उद्योगों पर आधारित आरा मीलों, अनु काष्ठों पर परत चढ़ाने वाली मीलों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मशीनों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
3.	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	(क) किसी भी नए या पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी । (ख) हरित या श्वेत कृषि आधारित लघु उद्योगों सहित केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वर्गीकरण के रूप में वर्गीकृत उद्योगों को नियमों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

IndiaCode

4.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
5.	नए बृहत जल विद्युत परियोजना और सिंचाई परियोजना की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
6.	प्लास्टिक के थैलों का उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
7.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्रार्व और ठोस अपशिष्टों का निस्तारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
8.	खतरनाक पदार्थों का उपयोग या उत्पादन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
	विनियमित क्रियाकलाप	
9.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी ।
10.	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है ।	(क) भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि और घरेलू खपत के लिए जल का निष्कर्षण सतही और भूमिगत जल अनुज्ञात होगा । (ख) औद्योगिक, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल का निष्कर्षण के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण पूर्व लिखित अनुज्ञा अपेक्षित होगी जिसके अंतर्गत कितने परिणाम में वह निष्कर्षण करेगा, भी है । (ग) सतही या भूजल का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा । (घ) जल के संदूषण या प्रदूषण, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे ।
11.	कृषि प्रणाली में प्रबल बदलाव।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
12.	विद्युत केबलों, दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण और केबल बिछाना और अन्य बुनियादी ढांचे ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । भूमिगत केबल को बढ़ावा दिया जाएगा।
13.	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड लगाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
14.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण।	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनीकरण उपाय यथा लागू अनुसार होंगे ।
15.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
16.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।

17.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
18.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
19.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण ।	उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करना और अबमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन करना होगा ।
20.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या कृषि आधारित देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग और जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, अनुज्ञात किए जाएंगे ।
21.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
22.	सुरक्षा बलों के कैम्प ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
23.	नए काष्ठ आधारित उद्योग ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाओं के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में नए काष्ठ आधारित उद्योग स्थापित किए जाएंगे जिसमें 100 प्रतिशत आयातित काष्ठ का उपभोग होगा ।
24.	पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिक अनुकूल आरामगाह जैसे टेंट, लकड़ी के मकान आदि	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
25.	नदियों और प्राकृतिक जल निकायों में मत्स्य ग्रहण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
26.	होटल और रिसोर्ट का वाणिज्यिक स्थापन ।	(क) संरक्षित क्षेत्र या पारिस्थितिक संवेदी जोन जो भी निकट हो की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय व्यक्तियों को उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण जिसके अंतर्गत आंचलिक महायोजना के अनुसार पैरा 6 के उपपैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी हैं, को करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा । परन्तु यह और कि ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे । (ख) एक किलोमीटर से आगे आंचलिक महायोजना की

IndiaCode

		अनुसार विनियमित होंगे ।
27.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारों आदि द्वारा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
28.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
29.	पारिस्थितिक-पर्यटन क्रियाकलाप ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
30.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र या पारिस्थितिक संवेदी जोन जो भी निकट हो, की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों को पैरा 6 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण करने की अनुमति भवन उपविधियों के अनुसार दी जाएगी । (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण; (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण; (iii) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में फरवरी, 2016 के भीतर सिर्फ गैर- प्रदूषित उद्योगों की स्थापना के वर्गीकरण; (iv) कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुख सुविधाओं जो पारिस्थितिक पर्यटन जिस में सहायक हो ग्रह वास; और (v) इस अधिसूचना में संवर्धित क्रियाकलापों की सूची : परन्तु यह और कि ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे । (ख) एक किलोमीटर से आगे आंचलिक महायोजना की अनुसार विनियमित होंगे ।
संवर्धित क्रियाकलाप		
31.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि और मछली पालन ।	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे ।
32.	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
34.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

35.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग।	सक्रिय रुप से बायो गैस, सौर प्रकाश आदि को बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	वनस्पति बाड़ लगाना ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	कौशल विकास विशेषकर हरित कौशल ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
40.	मानव-पशु संघर्ष और जैव विविधता संरक्षण के विशेष संदर्भ के साथ पर्यावरण जागरूकता ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति- (1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(क) आयुक्त, तिरहट, राजस्व खंड, मुजफ्फरपुर -अध्यक्ष;

(ख) राजस्व विभाग का एक प्रतिनिधि, बिहार सरकार -सदस्य;

(ग) जल संसाधन विभाग का एक प्रतिनिधि, बिहार सरकार -सदस्य;

(घ) क्षेत्रीय अधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पटना -सदस्य;

(ङ) पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) का प्रत्येक मामले में तीन वर्ष की अवधि के लिए बिहार राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि -सदस्य;

(च) पशुधन और मत्स्य संसाधन विभाग, सरकार के एक प्रतिनिधि -सदस्य;

(छ) जिला मजिस्ट्रेट, पश्चिम चम्पारण -सदस्य;

(ज) बिहार सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट पारिस्थितिक और पर्यावरण क्षेत्र का एक विशेषज्ञ -सदस्य;

(झ) राज्य जैव-विविधता बोर्ड का सदस्य ,बिहार -सदस्य;

(ण) प्रभागीय वन अधिकारी/बाल्मीकि व्याघ्र परियोजना, खंड1 -सदस्य सचिव।

निर्देश निबंधन -

(1) समिति का कार्यकाल तीन वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन

में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर या संरक्षित क्षेत्र का प्रभारी ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(6) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को **उपाबंध III** में उपबंधित रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

6. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे ।

7. भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन, इस अधिसूचना के उपबंध होंगे ।

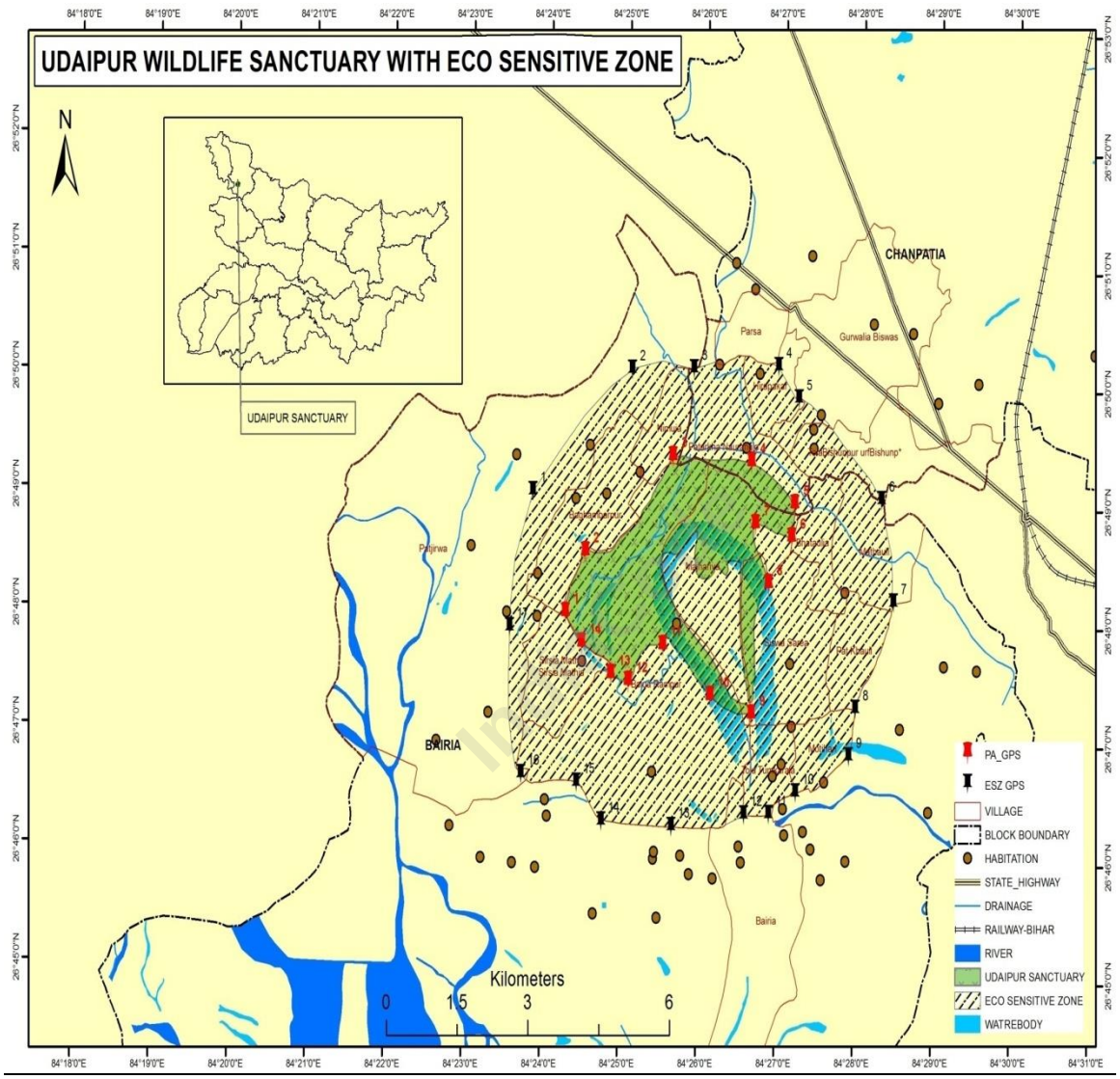
[फा. सं. 25/30/2015-ईएसजेड-आरई]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

IndiaCode

उपाबंध – I

उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य, बिहार के पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का मानचित्र



उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन और संरक्षित क्षेत्र के भू- निर्देशांक

मानचित्र का बिंदु	अक्षांश	देशांतर
पारिस्थितिक संवेदी जोन सीमा		
1.	26˚49' 3.034" उ	84˚ 23' 49.898"पू
2.	26˚50' 5.896" उ	84˚ 25' 4.842"पू
3.	26˚50' 6.910" उ	84˚ 25' 52.365"पू
4.	26˚50' 9.213" उ	84˚ 26' 57.403"पू
5.	26˚49'53.179"उ	84˚ 27' 13.241"पू
6.	26˚49' 2.747" उ	84˚ 28' 17.715"पू
7.	26˚48'10.921"उ	84˚ 28' 27.795"पू
8.	26˚47'16.639"उ	84˚ 27' 59.509"पू
9.	26˚46'52.534"उ	84˚ 27' 54.966"पू
10.	26˚46'33.471"उ	84˚ 27' 14.622"पू
11.	26˚46'22.168"उ	84˚ 26' 54.151"पू
12.	26˚46'21.493"उ	84˚ 26' 35.218"पू
13.	26˚46'14.639"उ	84˚ 25' 39.483"पू
14.	26˚46'16.532"उ	84˚ 24' 45.875"पू
15.	26˚46'35.747"उ	84˚ 24' 26.451"पू
16.	26˚46' 9.301" उ	84˚ 23' 43.610"पू
17.	26˚47'53.760"उ	84˚ 23' 33.467"पू

IndiaCode

बिंदु	अक्षांश	देशांतर
संरक्षित क्षेत्र की सीमा		
1.	26° 48' 1.802" उ	84° 24' 16.035"पू
2.	26° 48' 33.011" उ	84° 24' 30.650"पू
3.	26° 49' 22.354" उ	84° 25' 37.063"पू
4.	26° 49' 20.441" उ	84° 26' 37.458"पू
5.	26° 48' 59.559" उ	84° 27' 10.975"पू
6.	26° 48' 42.762" उ	84° 27' 8.955"पू
7.	26° 48' 49.135" उ	84° 26' 41.034"पू
8.	26° 48' 18.817" उ	84° 26' 51.771"पू
9.	26° 47' 12.421" उ	84° 26' 39.851"पू
10.	26° 47' 21.300" उ	84° 26' 8.048"पू
11.	26° 47' 46.413" उ	84° 25' 31.089"पू
12.	26° 47' 27.892" उ	84° 25' 5.171"पू
13.	26° 47' 31.084" उ	84° 24' 51.691"पू
14.	26° 47' 46.566" उ	84° 24' 28.833"पू

उपाबंध – II

उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य, बिहार के पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर आने वाले ग्रामों की सूची

क्र.सं.	नाम	अक्षांश	देशांतर
1.	टोला तुमकरैया	26° 46' 45.629"उ	84° 26' 53.723"पू
2.	सिरसीया मठिया	26° 47' 31.584"उ	84° 24' 10.289"पू
3.	सिसवा सरैया	26° 47' 49.817"उ	84° 27' 4.729"पू

IndiaCode

4.	मोतीहारी	26° 46' 56.759"उ	84° 27' 33.725"पू
5.	पट खौली	26° 47' 46.624"उ	84° 27' 58.405"पू
6.	भतौलिया	26° 48' 41.027"उ	84° 27' 31.768"पू
7.	मथौली	26° 48' 39.922"उ	84° 28' 3.385"पू
8.	बलुआ रामपुर	26° 47' 26.992"उ	84° 25' 18.355"पू
9.	हीरापाकर	26° 49' 54.698"उ	84° 26' 49.777"पू
10.	पतारखा नौरंगिया	26° 49' 32.554"उ	84° 26' 28.125"पू
11.	मझारिया	26° 48' 27.716"उ	84° 26' 17.013"पू
12.	बघामबारपुर	26° 48' 52.066"उ	84° 24' 33.700"पू
13.	निमुइया	26° 49' 36.968"उ	84° 25' 30.850"पू
14.	गुरवालिया विश्वास	26° 49' 39.330"उ	84° 27' 10.456"पू
15.	टोला बिशुनपुरउरफ बिशुनप	26° 49' 25.285"उ	84° 27' 33.770"पू
16.	बैइरिया	26° 46' 28.630"उ	84° 26' 28.385"पू
17.	पटजिरवा	26° 49' 20.053"उ	84° 24' 16.004"पू

IndiaCode

उपाबंध III

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तिथि ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

(Udaipur Wildlife Sanctuary, Bihar)

NOTIFICATION

New Delhi, 28th JUNE, 2017

S.O. 2030(E).— WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of the India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 3547(E), dated the 30th December, 2015, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, no comments or objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the draft notification;

AND WHEREAS, the Udaipur Wildlife Sanctuary, Bettiah lies between Latitudes 26°47'52.5" N and 26°48'47.1" N and Longitude 84°24'24"E and 84°25'88" E in the West Champaran District of Bihar and extends over an area of 887 hectares;

AND WHEREAS, the forests and the wetland ox-bow Sarayaman Lake spread in 319 hectares or 3.19 square kilometres part of this sanctuary have ecologically important species of flora and fauna, with narrow stretch of mixed deciduous forest along the banks of the river Chandrawat, river Harha and Gandak feed the lake and the landscape of this sanctuary is unique wetland with forests eco-system in the State of Bihar and the same also provided significant hydrological wetland eco-system functions in this locality;

AND WHEREAS, the Spotted deer (*Rusa sp.*), Barking deer (*Muntiacus sp.*), Hog deer (*Axis porcinus*), Blue bull (*Boselaphus sp.*), Indian Hare (*Lepus nigrollis*), Jackal (*Canis aureus*), Fox (*Vulpes vulpes*), Wild boar (*Sus scrofa)*, Porcupine (*Hystrix indica*), Monitor Lizard (*Varanus*), Python (*Python sp.*), and Open billed Stork (*Anastomus*), Red crested Pochard (*Netta rufina*), Gadwal (*Mareca strepera*), Purple Heron (*Ardea purpurea*) among bird species are the wild fauna of importance in Udaipur Wildlife Sanctuary, with Hog deer, Barking deer and Python being endangered or vulnerable.

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of the Udaipur Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from one kilometre to3.5 kilometre from the boundary of the Udaipur Wildlife Sanctuary in the State of Bihar as the Udaipur Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone), details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.-(1)The extent of Eco-sensitive Zone varies from 1 kilometre to 3.5 kilometres from the boundary of the Udaipur Wildlife Sanctuary and the area of Eco- sensitive Zone is 3759.0 hectare.

(2) The map of Udaipur Wildlife Sanctuary demarcating the Eco-sensitive Zone along with the geo co-ordinates are appended as **Annexure I**.

(3) The list of villages falling within Eco-sensitive Zone along with geo coordinates of the prominent points is appended as **Annexure II.**

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final

notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The Zonal Master Plan so prepared shall commensurate with the stipulation specified in the Notification and include the environmental implications.

(3) The Zonal Master Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.

(4) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(5) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

(i) Environment;

(ii) Forest;

(iii) Urban Development;

(iv) Tourism;

(v) Municipal;

(vi) Revenue;

(vii) Agriculture;

(viii) Livestock and Fishery Resources; and

(ix) Bihar State Pollution Control Board

IndiaCode

(6) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(7) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(8) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes, wetlands and other water bodies and also with supporting maps and the Plan shall be supported by Maps giving details of existing and proposed land use features.

(9) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and shall follow prohibited, regulated and promoted activities specified in the Notification so as to ensure Eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(10) The Zonal Master Plan shall be a reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions with respect to the provisions given in this notification.

3. Measures to be taken by State Government.-The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Landuse.-** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the

residential needs of local residents, and for the activities listed at item numbers 20, 24, 32 and 37 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

(i) Small scale industries not causing pollution;

(ii) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, for Eco-friendly tourism activities;

(iii) Rainwater harvesting; and

(iv) Cottage industries including village artisans:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of the Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural Springs.-** The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the catchment management plan shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit or restrict the development activities within the catchment areas.

(3) **Eco-Tourism.-**(a)The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Eco-Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the Department of Tourism, Government of Bihar in consultation with Department of Revenue and Forests, Government of Bihar.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities relating to tourism shall be regulated as under, namely.-

(i) the new construction of hotels and resorts shall not be allowed within 1 km from the boundary of the Wildlife Sanctuary or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, beyond the distance of 1 km from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-Sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural Heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government or Bihar State Pollution Control Board shall implement the regulations for control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions stipulated of the Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986.

(7) **Air pollution.-** Regulations for the control of air pollution in the Eco-Sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder shall be complied with.

(8) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made therein. –

(9) **Solid wastes. -** Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Solid Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016 as amended from time to time;

(ii) the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(iii) the burning or incineration of solid wastes and establishment of landfills shall not be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.-** The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R 343 (E), dated the 28th March, 2016, as amended from time to time.

(i) the common treatment facility or incineration shall not be permitted within the Eco Sensitive Zone;

(ii) Individual hospitals or private health centres already existing within the Eco Sensitive Zone should provide adequate treatment system to avoid adverse impact on the Protected Area.

(11) **Plastic Waste Management**.- The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R 340 (E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(12) **Construction and Demolition Waste Management**.- The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) **Vehicular traffic**. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(14) The Central Government and the State Government shall specify other measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this notification.

4. List of activities prohibited or to be regulated or promoted within the Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder and shall be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

IndiaCode

Table

Sl. No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
Prohibited Activities		
1.	Commercial Mining, stone quarrying, brick-kiln, soil excavation, sand mining and crushing units.	(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 04th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills, veneer mills or other wood based industries.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	(a) No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive zone shall be permitted. (b) Industries categorized as Green or White in the Central Pollution Control Board Classification including agro-based small scale industries will be regulated as per regulations. No Red category of industries shall be allowed within the Eco Sensitive Zone.
4.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Establishment of new major hydroelectric projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Uses of plastic carry bags.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
Regulated Activities		
9.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest land or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made there under.
10.	Commercial water resources including ground water harvesting.	(a)The extraction of surface water and ground water shall be permitted only for *bona fide* agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land. (b) The extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted shall require prior written permission from the concerned Regulatory Authority. (c) No sale of surface water or ground water shall be permitted. (d) Steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.
11.	Drastic change of agriculture system.	Regulated under applicable laws.

IndiaCode

12.	Erection of electrical cables, Transmission lines and telecommunication towers.	Regulated under applicable laws. Promote underground cabling.
13.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws.
14.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads, rail tract, etc.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
15.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose, under applicable laws.
16.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
17.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
18.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
19.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.	Efforts to be made to prevent mixing of treated, partially treated effluents to the water stream joining the lake. Recycling of treated effluent shall be encouraged and for disposal of sludge or solid wastes, the existing regulations shall be followed.
20.	Small scale industries not causing pollution.	Non-polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
21.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce .	Regulated under applicable laws.
22.	Security Forces Camp.	Regulated under applicable laws.
23.	New wood based industry.	No establishment of new wood based industry shall be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone: Provided that new wood based industry may be set up in the Eco-sensitive using 100% imported wood stock.
24.	Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists such as tents, wooden houses, etc. for Eco-friendly tourism activities.	Regulated under applicable laws.
25.	Fishing in rivers and natural water bodies.	Regulated under applicable laws.
26.	Commercial establishment of hotels and resorts.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one Kilometre from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, the local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 6 as per building byelaws: Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometre it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
27.	Undertaking activities related to tourism like rope ways, over-flying the sanctuary area by hot-air balloons, etc.	Regulated under applicable laws.
28.	Solid Waste Management.	Regulated under applicable laws.
29.	Eco-Tourism.	Regulated under applicable laws.

30.	Construction activities	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one Kilometre from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub paragraph (1) of paragraph 6 as per building byelaws to meet the residential needs of the local residents such as: (i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads; (ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities; (iii) small scale industries not causing pollution; (iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stays; and (v) promoted activities listed in this Notification: Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometre it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
Promoted Activities		
31.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming and fisheries.	Promoted under applicable laws
32.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
33.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
34.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
35.	Use of renewable energy sources	Promoted under applicable laws.
36.	Vegetative fencing	Promoted under applicable laws.
37.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
38.	Agro- Forestry.	Shall be actively promoted.
39.	Skill Development especially Green Skills.	Shall be actively promoted.
40.	Environmental Awareness with special reference to man-animal conflict and biodiversity conservation.	Shall be actively promoted.

5. **Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-** (1) The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of the following namely:-

(a) the Commissioner of Tirhut, Revenue Division, Muzaffarpur - Chairman;

(b) a representative of Department of Revenue, Government of Bihar - Member;

(c) a representative of Department of Water Resource, Government of Bihar - Member;

(d) Regional Officer, Bihar State Pollution Control Board, Patna -Member;

(e) a representative of Non-governmental Organizations working in the field of environment (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Bihar for a term of three years – Member;

(f) a representative of Department of Livestock and Fishery Resources, Government of Bihar – Member;

(g) District Magistrate, West Champaran – Member;

(h) One expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Bihar, and - Member;

(i) Member-Secretary or Member, Bihar State Biodiversity Board - Member;

(j) Divisional Forest Officer or Valmiki Tiger Project, Division-I - Member Secretary.

Terms of Reference:

(1) The tenure of the Monitoring Committee shall be for a period of three years from the date of issue of notification.

(2) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Commissioner shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wild Life Warden of the State per proforma appended at **Annexure III**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

6. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

7. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

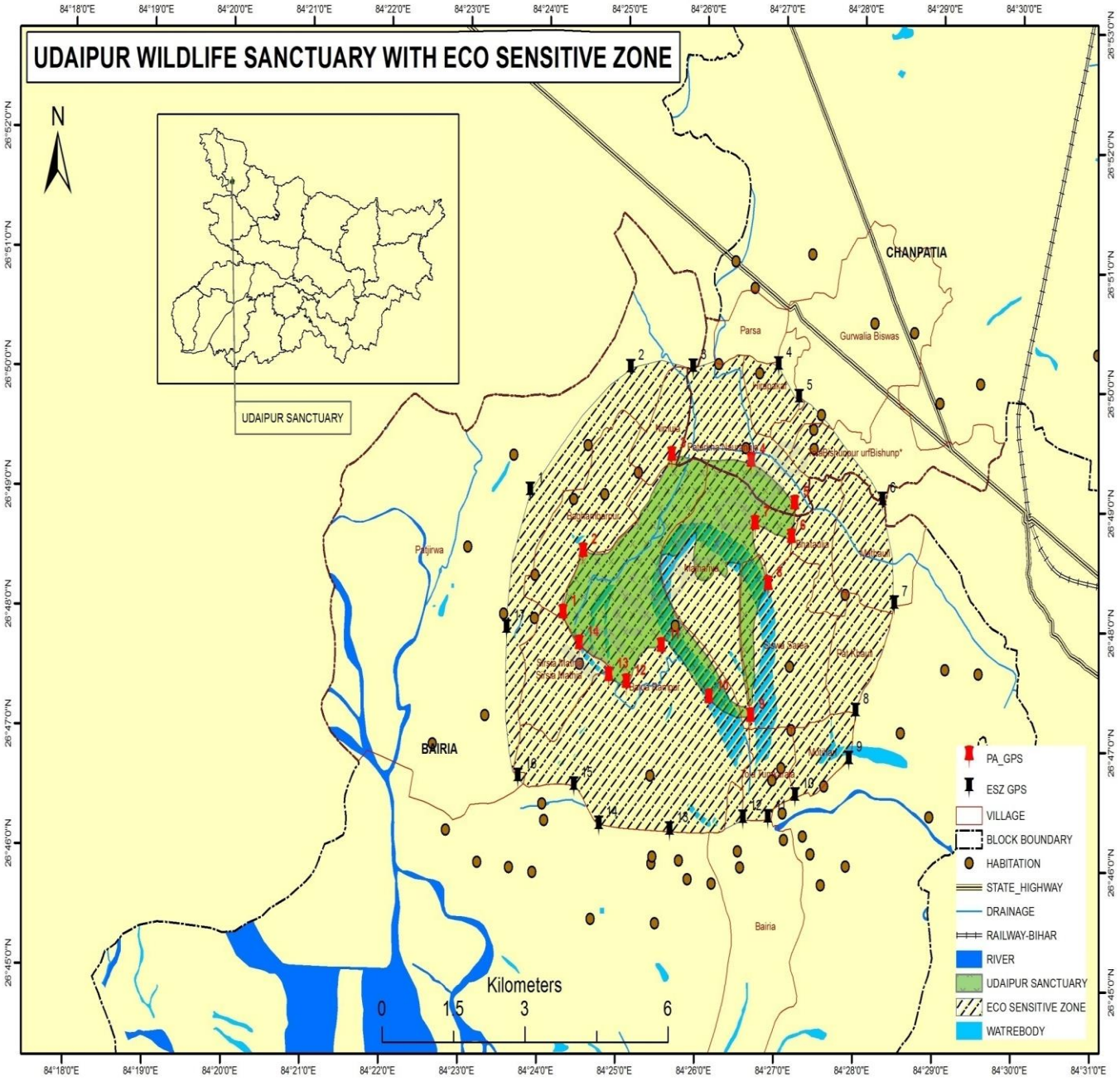
[F. No. 25/30/2015-ESZ-RE]

LALIT KAPUR, Seientist 'G'

IndiaCode

ANNEXURE I

Map of Eco-sensitive Zone boundary of Udaipur Wildlife Sanctuary, Bihar.



Geo Co-ordinates of Eco Sensitive Zone and Protected Area of Udaipur WLS

Points on Map	LATITUDE	LONGITUDE
Eco Sensitive Zone Boundary		
1.	26˚49' 3.034" N	84˚ 23' 49.898" E
2.	26˚50' 5.896" N	84˚ 25' 4.842" E
3.	26˚50' 6.910" N	84˚ 25' 52.365" E
4.	26˚50' 9.213" N	84˚ 26' 57.403" E
5.	26˚49'53.179"N	84˚ 27' 13.241" E
6.	26˚49' 2.747" N	84˚ 28' 17.715" E
7.	26˚48'10.921"N	84˚ 28' 27.795" E
8.	26˚47'16.639"N	84˚ 27' 59.509" E
9.	26˚46'52.534"N	84˚ 27' 54.966" E
10.	26˚46'33.471"N	84˚ 27' 14.622" E
11.	26˚46'22.168"N	84˚ 26' 54.151" E
12.	26˚46'21.493"N	84˚ 26' 35.218" E
13.	26˚46'14.639"N	84˚ 25' 39.483" E
14.	26˚46'16.532"N	84˚ 24' 45.875" E
15.	26˚46'35.747"N	84˚ 24' 26.451" E
16.	26˚46' 9.301" N	84˚ 23' 43.610" E
17.	26˚47'53.760"N	84˚ 23' 33.467" E

Points	LATITUDE	LONGITUDE
Protected Area Boundary		
1.	26˚ 48' 1.802" N	84˚ 24' 16.035" E
2.	26˚ 48' 33.011" N	84˚ 24' 30.650" E
3.	26˚ 49' 22.354" N	84˚ 25' 37.063" E
4.	26˚ 49' 20.441" N	84˚ 26' 37.458" E
5.	26˚ 48' 59.559" N	84˚ 27' 10.975" E
6.	26˚ 48' 42.762" N	84˚ 27' 8.955" E
7.	26˚ 48' 49.135" N	84˚ 26' 41.034" E
8.	26˚ 48' 18.817" N	84˚ 26' 51.771" E
9.	26˚ 47' 12.421" N	84˚ 26' 39.851" E
10.	26˚ 47' 21.300" N	84˚ 26' 8.048" E
11.	26˚ 47' 46.413" N	84˚ 25' 31.089" E
12.	26˚ 47' 27.892" N	84˚ 25' 5.171" E
13.	26˚ 47' 31.084" N	84˚ 24' 51.691" E
14.	26˚ 47' 46.566" N	84˚ 24' 28.833" E

ANNEXURE II

List of villages located within the Eco-sensitive Zone of Udaipur Wildlife Sanctuary, Bihar.

Sl. No.	Name	Latitude	Longitude
1.	Tola Tumkaraia	26° 46' 45.629" N	84° 26' 53.723" E
2.	SirsiaMathia	26° 47' 31.584" N	84° 24' 10.289" E
3.	SiswaSarea	26° 47' 49.817" N	84° 27' 4.729" E
4.	Motihari	26° 46' 56.759" N	84° 27' 33.725" E
5.	Pat Khauli	26° 47' 46.624" N	84° 27' 58.405" E
6.	Bhataulia	26° 48' 41.027" N	84° 27' 31.768" E
7.	Mathauli	26° 48' 39.922" N	84° 28' 3.385" E
8.	Balua Rampur	26° 47' 26.992" N	84° 25' 18.355" E
9.	Hirapakar	26° 49' 54.698" N	84° 26' 49.777" E
10.	PatarkhaNaurangia	26° 49' 32.554" N	84° 26' 28.125" E
11.	Majhariya	26° 48' 27.716" N	84° 26' 17.013" E
12.	Baghambarpur	26° 48' 52.066" N	84° 24' 33.700" E
13.	Nimuia	26° 49' 36.968" N	84° 25' 30.850" E
14.	GurwaliaBiswas	26° 49' 39.330" N	84° 27' 10.456" E
15.	TolaBishunpururfBishunp*	26° 49' 25.285" N	84° 27' 33.770" E
16.	Bairia	26° 46' 28.630" N	84° 26' 28.385" E
17.	Patjirwa	26° 49' 20.053" N	84° 24' 16.004" E

ANNEXURE III

Proforma of Action Taken Report:- Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of meetings:
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attached Minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record:
 Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinized for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006: Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of case scrutinized for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006: Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints ledged under Section 19 of Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.07.01 10:42:14 +05'30'